CORRECTION OF ANSWER TO USQ No. 2818 dated 30-11-1966.

The Minister of State in the Departments of Parliamentary Affairs and Communications (Shri I. K. Gujral): In the reply given to the Lok Sabha in response to the unstarred question No. 2618 of 30th November, 1966 tabled by Dr. Saradish Roy, it was stated that there were only 9 villages in the Birbhum Division with a population of more than 2,000 and still without a Post Office. It has now been reported that there is one more village called Papuri with a population of over 2,000 where a Post Office is justified under the prescribed standards. However, in view of the current financial stringency, restrictions have been imposed on the opening of new Post Offices, and the proposal for the Post Office at Papuri would therefore have to pend for some time. The reply to the question may kindly be read as follows:

QUESTION	ANSWER
(a) whether post Offices have been opened in all the villages having population of more than 2,000 in Birbhum Division (West Bengal);	(a) No, Sir.
(b) if not, the names of such villages; and	(b) (1) Kanutia, (2) Mehagram (3) Tentula (4) Ambhua (5) Bhitora (6) Makhlispur (7) Dantura (8) Dumaragram (9) Bhariswar (10) Papuri
(c) the reasons for not opening the Post Offices?	(c) Except in the case of Papuri the opening of Post Offices is not justified as the standard regarding distance is not fulfilled. A Post Office at Papuri would be opened as soon as the current finahcial stringency is over.

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

ALLEGED ABDUCATION OF SOME GIRLS IN DELHI

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"पिछले दो महीनों में दिल्ली में कुछ लड़कियों के अपहरण के समाचार"

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan): Reports have appeared recently in the Press about instances in Delhi of disappearance of girls who have not been recovered. During the months of January, February and March (up to 25-3-1967), 54 girls and women were reported to have been kidnapped or abducted. 41 of them have already been recovered. The Delhi Police are making vigorous efforts to trace the remaining missing persons.

श्री मधु लिमये : सभापति महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं, इस तरीके का जो काम बड़े पैमाने पर हो रहा है और

[श्री मधु लिमये]

इस की ठीक तरीके से जांच नहीं हो रही है, क्या उसके पीछे यह बात है कि दिल्ली का शासन और आसपास के जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश, इन दो शासनों के या तीन शासनों के बीच में आपसी सहयोग नहीं है। एक बात। और दूसरी बात जो दिल्ली में नई कार्यकारिणी स्थापित हो गई है, नये कानून के अनुसार और जिसमें विरोधी दल का कब्जा है, जनसंघ का, उसके साथ केन्द्रीय सरकार ठीक तरीके से सहयोग नहीं कर रही है और उस की वजह से इन मामलों की जांच ठीक तौर पर नहीं हो पा रही है?

Shri Y. B. Chavan: Sir, there is no question of having any non-co-operation between the Delhi Administration and the Government of India, and it has nothing to do with it being a non-Congress Administration, because the non-Congress Administration came into existence only two or three weeks before This type of thing has been happening here for quite a long time. But the point that the hon. Member, Shri Limaye, has raised is a very important one, and that will have to be gone into, that this is something very unusual—such a large number of women, girls and children to be kidnapped. So we will have to work out some sort of co-ordination and co-operation between the Delhi Administration and other areas also. I am taking up this matter very vigorously.

श्री कंवर लाल गुप्ता (दिल्ली सदर): जब दिल्ली में ला एंड आर्डर की सिचुएशन डिटीरियेरेट हो रही है और एक दिन में एक लड़की जो 12 साल से ऊपर है वह किडनैप होती है, 54 केस जो आपने बतलाये वह तो वे हैं जो पुलिस में रिपोर्ट हुए हैं लेकिन बहुत सारे केसेज ऐसे हैं जो कि पुलिस में नहीं जाते। इन तीन महीनों में लगभग 100 के लगभग जो 12 साल से ऊपर है वह किडनैप हुई हैं। इस के अलावा आज ऐसे कितनी लड़कियों के और औरतों के केस हैं जो कि दो, दो और एक, एक साल से, खास तौर से एक आश्रम का केस है जिसमें दो लड़कियां पिछले एक साल से रिकवर नहीं हुई, पुलिस ने उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। इसी तरीके का कैन्ट का एक केस है जो पिछले दो वर्ष में वहां से गुम हुए चार बच्चे अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं। दरअसल यहां पर पुलिस के पास उस के लिये कोई मोबिल्टी नहीं है, उन के पास जो गाड़ियां हैं वह खराब पड़ी रहती हैं, कोई मौडर्न ऐपरेटस और लैबोरेटरी नहीं है, जो है भी वह आउटडेटेड और आउट-मोडेड है और उसको ठीक करने की बड़ी आवश्यकता है ताकि पुलिस रिकवरी कर सके। इन मामलों के बारे में मैंने पुलिस वालों से बातचीत की है और वह कहते हैं कि यह कोई बहुत सीरियस औफैंस तो है नहीं, इसमें कोई कत्ल होता नहीं है कोई सोशली बुरी बात हो गई तो यह आउट-लुक बदले पुलिस का, यह सोशल बुराई क्यों न हो लेकिन यह बहुत बड़ा सीरियस औफैंस है और मैं जानना चाहता हूं कि उस की रोक थाम के लिए होम मिनिस्टर साहब क्या कदम उठा रहे हैं?

Shri Y. B. Chavan: I think the hon. Member has emphasized rightly that it is no use taking a technical view of this matter. Whether it is a serious offence or not, certainly it is a very sensitive question as far as the society is concerned. Many representations have been made to the Prime Minister and she has asked us to go into the matter very thoroughly. I am taking personal interest in this matter and discussing it with the local police officers. Certainly, the question of modernisation of transport, laboratory etc. are there, but I think we will be requiring some time to go into the question, because the

modernisation of the police forces, though a very urgent matter, takes some time. But I can assure the House that we will look into this matter.

श्री रामस्वरूप विद्यार्थी (करोलबाग): इसी प्रकार का एक केस सराय रोहिल्ला में हुआ । 22 फरवरी, सन् 1967 को वह लड़की अगवा की गई । उसके मां बाप लगातार दो दिन तक सराय रोहिल्ला और सब्जीमंडी पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते रहे लेकिन केस रजिस्टर कहीं दो दिन बाद में जाकर हुआ । जब उसके मां, बाप ने बताया कि एक गैंग है जो कि सराय रोहिल्ला में रहता है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल फार गर्ल्स के पास रहता है और उसकी यह साजिश है और जिस के कि खिलाफ दो साल पहले पुलिस को इत्तिला दे दी गई थी, उन को पुलिस ने बिलकुल तफ़तीश में शामिल नहीं किया एक या दो आदमियों को तफतीश में शामिल किया, बाकी बहुतों को छोड़ दिया गया जब मैंने स्वयं डी० आई० जी० का ध्यान दिलाया अगले रोज ही वह लड़की बरामद हो गई । इसलिये मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि क्या वह इस प्रकार का कोई सैल स्थापित करना चाहते हैं जिससे जो अगवा शुदा लड़किया हैं, लड़के हैं, उन की फौरन इत्तिला दी जाय और फौरन पुलिस हरकत में आ जाय । ऐसी जो घटनायें दिल्ली के अन्दर हुई हैं वह न हो पायें और पुलिस जो चक्कर कटवाती है लोगों को इधर से उधर दौड़ा अथवा भगा कर और आसानी से केस रजिस्टर नहीं करती है तो वह न हो पाये ?

Shri Y. B. Chavan: The idea of having a separate cell is a new idea. Personally, my first reaction about it is merely having some sort of cell at the highest organisation level of the police is not going to help, because these offences take place in all parts of Delhi. As a matter of fact, it is a question of having some sort of cell at the horizontal level, not at the vertical level. I think, the most important thing in this matter will be to make aware all the police stations and whenever they hear about these matters they will have to take up the matter seriously and investigate it. Also, better facilities for transport etc. will have to be provided so that they take very quick action in this matter.

Dr. Karni Singh (Bikaner): We have had a spate of thefts in this country, but the citizen after a while has taken to accepting it knowing full well that the Government cannot catch the thieves. After that, we had a spate of murders, but the citizen managed to accept that also that this is one of the things that the Government has shown its incapacity in handling. But how long can a citizen, or a parent at that, put up with the abduction of his daughters? How long a law and order situation like this can be allowed to deteriorate at this stage when parents and children are not safe in society? In a situation like this I would like to know whether Government has any proposals to bring about stringent deterrent measures to control such things from continuing and whether Government would consider, in the case of proven abductions of children, giving capital punishment.

Shri Hem Barua (Mangaldai): It is a good suggestion.

Shri Y. B. Chavan: It is the right of this hon. House to provide for capital punishment or not; it is not my discreation.... (*Interruption*).

Dr. Karni Singh: Why do you not bring forward a law? You are a father. We are all fathers of children.

Shri Y. B. Chavan: I am afraid, children can be abducted by wrong ideas. I will have to take care of that. Death penalty is a separate question and I do not want to go into this. But I certainly share the anxiety of the hon. Members in this

[Shri Y. B. Chavan]

matter and we will take stringent measures which are permissible under the law.

डा० राम मनोहर लोहिया (कन्नौज) : चूंकि एक अपराध दूसरे अपराधों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, जैसे अफीम की चोरी का व्यापार, शराब की चोरी का व्यापार और सोने की चोरी का व्यापार, जो कि तीनों मिल कर साल का 100 करोड़ रुपये तक होता है, उसी तरह से लड़कियां उड़ाने या कत्ल वगैरह का सवाल उठता है, तो क्या कोई ऐसा तरीका निकाला जा सकता है जिससे पुलिस की सारी व्यवस्था बदल जाये। पहले तो गृह मंत्री से मेरा सवाल यह है कि जितनी ऐसी धारायें हैं, चाहे वह ताजीरात हिन्द की हों या जाब्ता फौजदारी की हों, जैसे 109 और 107, जो एक तरफ़ गुण्डों या बदमाश लोगों को पकड़ने में मदद देती हैं दूसरी तरफ़ साधारण जनता के ऊपर पुलिस के अत्याचार बढ़ाने में भी मदद देती हैं, उन के बारे में क्या आप कुछ करेंगे ? दूसरी तरफ़ पुलिस और अपराधियों के गठबन्धन और सम्बन्ध को तोड़ने के लिये मैं तो समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री अगर अपनी गर्दन को हथेली पर लेकर ही चलेंगे तभी काम चल सकता है। सब पुलिस वाले अपराधियों से मिले हुए हैं। जब मैं पुलिस वाला कहता हूं तो मेरा मतलब आप समझ लें। यह मैं कांस्टेबल के लिये नहीं कहता हूं। कांस्टेबल तो बेचारा रिक्शा वाले से बीड़ी की घूस लेता है। लेकिन पुलिस के मंत्री, सब मंत्री, आप अपने लिये ही न समझ लें, बड़े बड़े अफसर और बडे बडे अपराधी इतने ज्यादा जुड़े हुए हैं कि जब तक आप अपनी गर्दन और जान को हथेली पर लेकर नहीं चलेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

खैर, आप हथेली वाला उत्तर तो क्या देंगे, लेकिन मेहरबानी करके मेरे दोनों प्रश्नों के उत्तर, एक तो धारा 107 और 109 वाला और दूसरे पुलिस और अपराधियों के सम्बन्ध के बारे सदन को में कुछ तसल्ली देने वाली बात आज कहें।

Shri Y. B. Chavan: The hon. Member has certainly raised a very important question; I have no doubt about it. These matters cannot be considered in isolation. There are other social and economic factors involved in this; other things that happen in the social and economic life also are responsible for this. The law and order question cannot be isolated from the social and economic background of society. As far as that is concerned, certainly I agree with him. If he has got any specific suggestions as to how we can reflect it in the administration, I am prepared to discuss matters with Dr. Ram Manohar Lohia.

An hon. Member: Call a meeting.

Shri Y. B. Chavan: As far as my *gardan* is concerned, it is in his hands.... (*Interruption*).

डा० राम मनोहर लोहिया : अरे, मेरे हाथ में नहीं है, यह तो मजाक वाली बात है। अगर आप मेरे हाथ में अपनी गर्दन दें तो सब से पहल आप को इधर बिठलायेंगे। वहां कैसे बैठे रहोगे ? अब मेरा चेहरा इतना खूबसूरत नही तो भी यहां बैठना पड़ता।

श्री बलराज मधोक (दक्षिण दिल्ली) : मंत्री महोदय से जैसा अभी कहा गया, इस प्रश्न के दो पहलू हैं, सामाजिक और ला ऐंड आर्डर के। जो हमारा सामाजिक पहलू है उसके पीछे हमारी शिक्षा पद्धति और सामाजिक नीति आ जाती हैं। जो इसका ला ऐंड आर्डर का पहलू है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि दिल्ली के अन्दर ला ऐंड आर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी है। यहां की पुलिस का जो कंट्रोल है वह मेट्रोपोलिटन कौंसिल के पास नहीं है, इस

लिये सेंट्रल गवर्नमेंट की डाइरेक्ट रिस्पांसिबिलिटी है ।

ला ऐंड आर्डर की जो स्थिति पैदा हुई है वह नई नहीं है । यह दिन प्रति दिन बढती जा रही है, और इसकी मुख्य रूप में जिम्मेदारी है कुछ पुलिस के अफसरों की । लेकिन उससे बढ कर कुछ पालिटीशियन्स हैं जिनका पता आपको होना चाहिये । जो पालिटीशियन्स, गुण्डों को पालते हैं और पुलिस से मिले हुए हैं उनका पता लगाइये । आज पालिटीशियन्स गुण्डे और पुलिस आफ़िसर्स, इन तीनों का रिंग है । यह जो रिंग है यह सारे मिल कर चाहे अफीम की चोरी हो, चाहे शराब का व्यापार हो, चाहे औरतों को उड़ाने का काम हो, उस को करते हैं । जब तक इस रिंग को नहीं तोड़ा जायेगा और उस के लिये कोई विशेष कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक कुछ नही हो सकता है इस सम्बन्ध में सब से आवश्यक बात यह है कि जो लोकल कौंसिलें बनाई गई हैं उनमें आम तौर पर दस नम्बरी गुंडे और पुलिस अफसर मेम्बर रहते है । मैं चाहूंगा कि उनके बारे में एन्क्वायरी की जाये और पता लगाया जाये कि कौन से लोग उन में हैं ।

मेरा प्रश्न यह है कि क्या मंत्री महोदय इस बात पर विचार करेंगे कि दिल्ली के अन्दर जितने रजिस्टर्ड गुंडे हैं उनकी लिस्ट लेकर के उनके जो सम्बन्ध पुलिस के थानों के साथ हैं उनके बारे में एन्क्वायरी की जाये, और उनके बारे में जो पुरानी शिकायतें आई हुई हैं उनको देखते हुए सारा पुलिस का जो सिस्टम है उसको रिकास्ट किया जाये ?

Shri Y. B. Chavan: These are certainly very good suggestions that the hon. Member has made. But it is not a question of registered *goondas*. The difficulty is more about the unregistered *goondas*.

Shri Hem Barua (Mangaldai): What is the number of registered *goondas in Delhi?*

Shri Y. B. Chavan: If it is a politician, if it is a *goondas*, if it is a criminal, I am prepared to take action against anybody. I do not want to shirk my responsibility in this matter. Certainly, the Central administration is responsible for law and order in the city. But I seek the cooperation from the hon. Members also in this.

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : मैं जानना चाहती हूं कि कितने ऐसे मामलात आये हैं जिनके बारे में जानकारी करने के बाद पुलिस ने फैसला किया है कि अब उनके बारे में कुछ नहीं हो सकता है और उन केसेज को बन्द कर दिया गया । कितने ऐब्डक्शन केसेज बन्द कर दिये गये इसके बारे में गृह मंत्री महोदय जानकारी दें । दूसरी बात यह है कि जिन लोगों के केसेज बन्द कर दिये गये हैं क्या उनके परिवार वाले यह मान लें कि उनकी लड़की अब मिलने वाली नही है और वह सन्तोष कर लें कि वह नहीं मिलेगी. या कि कोई और कार्रवाई की जायेगी ?

Shri Y. B. Chavan: She has made a very good suggestion. Sometimes the police do, in the course of investigation, file the cases. But we will not treat them as filed. We will ask them to reopen the cases and pursue the investigation.

श्री यशपाल सिंह (देहरादून) : क्या इस तरह का कोई नियम बनाया गया है कि जिन पुलिस अधिकारियों के इलाके में अपहरण के केसेज नहीं होंगे उनको साल भर में प्रमोशन दिया जायेगा और उनको पुरस्कृत किया जायेगा ? जब तक आप उनको एनकरेज नहीं करेंगे तब तक ऐसे केसेज कैसे रुक सकते हैं ?